



CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
(Council of Scientific & Industrial Research)
Sector 30-C, Chandigarh-160 030 (India)

Commencement of Online Applications: 11.07.2025
Last date for Submission of Online Applications: 11.08.2025 (up to 5:00 PM)

Advertisement No. Regular 2/2025 dated 11.07.2025

A unique opportunity for a research career in Science & Technology

CSIR-Central Scientific Instruments Organisation (CSIR-CSIO), Chandigarh, a premier Institute under the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), is involved in multidisciplinary R&D programmes of both basic and applied nature across scientific disciplines with emphasis on measurement science and instrumentation technologies. The Organisation is devoted to R&D activities in the areas of Agri Instrumentation, Biomedical Instrumentation, Optical Devices & Systems, Geoscientific Instrumentation, Precision Mechanical Systems, Analytical Techniques and R&D Support Facilities, Computational Instrumentation, etc. CSIR-CSIO is in the process of recruiting Scientists to undertake the design & development of scientific and industrial instruments covering the above-mentioned areas and manage projects, intellectual outputs, technology transfers and information systems.

Applications are invited from enthusiastic Indian Nationals with excellent academic records and proven scientific achievements along with the requisite experience and a high degree of motivation to take up research as a career in the field of measurement sciences and instrumentation technologies to fill up the vacancies of following posts of Scientist at Chandigarh as well as its Centre at Chennai as per the details given below.

The emoluments and age limits for various posts as per norms are summarized hereunder:

Designation	No. of Posts	Pay Level (as per 7 th CPC)	*Total Emoluments (as per 7 th CPC)	***Upper Age Limit not exceeding (as on last date of submission of online applications)
Scientist	Total no. of posts - 17 UR-07 OBC-07 (Includes 01 backlog vacancy for OBC) SC-02 EWS-01 Out of the above 17posts, 03 posts are reserved for PwBD (OH-01, HH-01 [@] , VH-01 [@]) <i>[@]Backlog reserved vacancies for Persons with Benchmark Disability (PwBD). If a suitable person with the said disability, i.e. HH-01 & VH-01, is not available, it may be filled by other categories of PwBD, i.e. OH, HH, VH, but overall representation of backlog reserved vacancies in this recruitment process will remain HH-01 & VH-01.</i>	PL-11 Rs. 67700-208700	Rs. 138000/- (approximately)	32 years

***Total Emoluments mean approximate total emoluments on minimum of scale as of 01.01.2025, including House Rent Allowance in Chandigarh/Chennai. CSIR-CSIO may provide residential accommodation, if available, as per rules.**

*****Please see age relaxation under the heading "General information and conditions" of the Advertisement.**

The details of the post(s) are given below:

Post, Post code &Category	No. of post(s)	Essential Educational Qualification	Desirable Qualification/Experience	Job Requirements/S pecifications
Scientist SCT-2001 SC	01	M.E./M.Tech in the area of Computer Science & Engineering/ Computer Science/ Computer Engineering/ Information Technology. OR Ph.D submitted in the area of Computer Science & Engineering/ Computer Science/ Computer Engineering/ Information Technology.	Experience in the following areas: Software Design and Development (open source, .NET technology), Database Management (MYSQL, SQL Server etc.), Design of API/Web service for data transfer between sensors/server, IoT protocols, Machine learning algorithm development/deployment.	To contribute as a team member in R&D initiatives, validation of system at field and user site, software and front-end application design, Intelligent and Collaborative Sensing/computing for engineering analysis and design.
Scientist SCT-2002 OBC (NCL)	01	M.E./M.Tech. in the area of Electronics & Communication Engineering / Electrical & Electronics Engineering / Electrical Engineering / Advanced Instrumentation Engineering / Instrumentation Engineering / Mechatronics/ Embedded Systems/Advanced Electronic Systems. OR Ph.D submitted in the area of Electronics & Communication Engineering / Electrical & Electronics Engineering / Electrical Engineering / Advanced Instrumentation Engineering / Instrumentation Engineering / Mechatronics/ Embedded Systems/Advanced Electronic Systems.	Experience in the following areas: Intelligent Instrumentation, FPGA/ ARM Application Processors, Signal Processing /Image Processing, Machine learning algorithm development/ deployment.	To contribute as a team member in R&D initiatives, validation of system at field and user site, Electronics and embedded hardware/software development, Intelligent and Collaborative Sensing/computing for engineering analysis and design.
Scientist SCT-2003 EWS	01	Ph.D. (Science/Engineering) submitted in the field of Physics/ Applied Physics/ Computational Physics or equivalent.	Experience in Computational Physics in the field of optics/photronics/holography (digital holography/ digital interferometry/ computer holography) Post PhD research experience with proven publication/patent.	Development of optics and photronics related algorithm, preferably for digital holography and generation of computer- generated holograms for advanced display technologies.
Scientist SCT-2004 UR	01	Ph.D (Science/Engineering) submitted in the field of Physics, Applied Physics, Optics, Photonics, Electrical Engineering, Electronics and Communication Engineering or equivalent.	Experience evidenced by Publications/Patents/Product development/ Execution of projects in the area of quantum communication/ quantum sensing/quantum optics/ quantum devices. AND/OR Candidate having experience in design, fabrication and characterization of Quantum Photonic Integrated Circuits (QPIC), on-chip quantum logic gates, photonic qubits, on-chip entangled	Development of quantum systems, on-chip quantum devices. Activities related to design, fabrication (using lithography and dry etching system) and testing of on-chip quantum circuits, quantum systems for communication and sensing.

Post, Post code &Category	No. of post(s)	Essential Educational Qualification	Desirable Qualification/Experience	Job Requirements/S pecifications
			photon pair source. Post PhD research experience with proven publication/patent.	
Scientist SCT-2005 SC	01	Ph.D. (Science/Engineering) submitted in the field of Physics/ Applied Physics/ Optics/Photonics/ or equivalent.	Experience in optics/photonics/Fiber optics. Experience in fabrication of optical and photonics components using lithography techniques Post PhD research experience with proven publication/patent.	Design, fabrication (using lithography and dry etching system) and experimentation on advanced nano/micro optics and photonics components and devices.
Scientist SCT-2006 OBC (NCL)	01	Ph.D. submitted in the field of Physics/Applied Physics/Integrated Photonics/Electrical Engineering/Electronics and Communication Engineering or equivalent.	Experience in design, fabrication and characterization of silicon photonics devices integrated photonics devices and lithography techniques Post PhD research experience with prove publication/patent.	Selected candidate will work in silicon photonics device area and will engaged in different activities related to design, fabrication and characterizations of integrated photonic devices.
Scientist SCT-2007 UR	01	M.E./M.Tech in the area of Computer Science & Engineering/ Information & Communication Technology/ Information Technology/Data Science & Engineering. OR Ph.D (Science/Engineering) submitted in the area of Computer Science & Engineering/ Information & Communication Technology/ Information Technology/Data Science & Engineering.	Experience in Linux & Linux System Administration, Computer Network Management, Software Engineering, Software Development, Data and Information Management, Big Data Handling and ICT Management	To contribute in Software design & Development, Network & Server Management, ICT Service Design & management.
Scientist SCT-2008 OBC (NCL)	01	M.E./M.Tech in Computer Science Engineering/ Information Technology/Electronics & Communication Engineering/ Electrical & Electronics Engineering/ Instrumentation Engineering. OR Ph.D. (Science/Engineering) submitted in Computer Science Engineering/ Information Technology/ Data Science/ Electronics & Communication Engineering/ Electrical & Electronics Engineering/ Instrumentation Engineering.	Experience in the following areas: Image/Signal Processing, Brain Computer Interface Systems, UAV, AR/VR systems, sensors & instrumentation, computing devices utilizing integrated systems, AI, ML and IoT.	To contribute as a team member in R&D activities related to AI-based systems in real-world conditions, design & development of autonomous systems and allied applications, design & integration of electronic circuit/sensors and systems
Scientist SCT-2009 UR	01	M.E./M.Tech in Computer Science Engineering/ Information Technology/ Data Science/ Electronics & Communication Engineering/ Electrical & Electronics Engineering/	Experience in the following areas: Embedded application development on real-time operating systems, FPGA, EDA, Bare metal programming, Infrared Search and Track (IRST), DAS (Distributed	To contribute as a team member in R&D activities related to in futuristic & innovative applications, cutting-edge technologies

Post, Post code & Category	No. of post(s)	Essential Educational Qualification	Desirable Qualification/Experience	Job Requirements/S pecifications
		Instrumentation Engineering OR Ph.D. (Science/Engineering) submitted in Computer Science Engineering/ Information Technology/ Data Science/ Electronics & Communication Engineering/ Electrical & Electronics Engineering/ Instrumentation Engineering.	Aperture System), Centerline Aerial Monitoring System, Cueing System.	
Scientist SCT-2010 OBC (NCL)	01	M.E/M.Tech in the area of Mechanical Engineering/Instrumentation Engineering. OR Ph.D submitted in Mechanical Engineering/Instrumentation Engineering.	Experience in the area of mechanical design and fabrication with applications in societal and strategic sectors.	Designing and manufacturing activities pertaining to avionics, smart manufacturing.
Scientist SCT-2011 OBC (NCL)	01	M.E/M.Tech in the area of Manufacturing Engineering/Production Engineering/ Instrumentation Engineering /Mechanical Engineering. OR Ph.D submitted in Manufacturing Engineering /Production Engineering/Instrumentation Engineering /Mechanical Engineering.	Experience in the following areas: optical fabrication techniques like grinding, polishing, precision measurement tools and metrology techniques.	Engage in R&D activities focused on mechanical and optical fabrication, assembly, and measurement of mechanical and optical components.
Scientist SCT-2012 UR	01	M.E/M.Tech in the area of Electronics & Communication Engineering OR Ph.D. (Science/Engineering) submitted in Electronics & Communication Engineering.	Experience in electronic design, fabrication techniques	Engage in R&D activities focused on design and fabrication of electronic system for strategic and societal sector.
Scientist SCT-2013 OBC (NCL)	01	M.E/M.Tech in the area of Electronics & Communication Engineering/ Instrumentation Engineering/Applied Physics OR Ph.D. (Science/Engineering) submitted in Electronics & Communication Engineering/Instrumentation Engineering /Applied Physics	R&D experience evidenced by peer-reviewed SCI publications and/or International / National Patents (filed/accepted)	To engage R&D activities in the facility equipped with sophisticated analytical instruments.
Scientist SCT-2014 OBC (NCL)	01	PhD (Science/Engineering) submitted in areas of Physics/ Engineering Physics/ Materials Science/ Material Science &	Experience with physical vapor deposition techniques such as magnetron sputtering/ e-beam	Develop and fabricate advanced thin film coatings for visible and IR region Utilizing physical vapor deposition

Post, Post code &Category	No. of post(s)	Essential Educational Qualification	Desirable Qualification/Experience	Job Requirements/S pecifications
		Engineering or equivalent.	evaporation/ thermal evaporation. Experiences in design, fabrication and characterization of thin-film and its devices. Experience in deducing structure-property-processing relationships of thin films.	methodologies. Conduct simulation, experimental fabrication and characterization of emergent coating technologies. Develop and optimize methods for thin-film deposition for optical instruments.
Scientist SCT-2015 UR	01	PhD (Science/ Engineering) in the area of Instrumentation/ Electronics/Electrical Engineering or Equivalent.	Experience in Photonics, MEMS interfacing and actuators, ATMP Experience of working in clean room and allied fabrication processes like Micromatching, Lithography and Grey-Scale Lithography, Photonic Device Simulation, Laser-Writer, Oxidation and Wire-Bonding.	Engage in technological development and translational research in ATMP of Optical Components, Sensing devices. Design, fabrication, testing and packaging of integrated devices, photonics, MEMS devices.
Scientist SCT-2016 UR	01	M.E / M.Tech (Electrical/ Electronics / Mechanical/ Instrumentation Engineering/Computer Science & Engineering/Industrial Management/Technology Management OR Ph.D (Engineering) thesis submitted	Experience in intellectual property, licensing and commercialization processes. Knowledge of business models, market entry strategies, partnership development and networking skills.	Liaising with the Industry in supporting the projects and technology transfer activities.
Scientist SCT-2017 UR	01	Ph.D. (Science/Engineering) submitted in the field of Instrumentation Engineering/Electronics/ Electrical Engineering/or equivalent.	Experience in Photonics-MEMS interfacing and actuators. Assembly Testing Marking and Packaging (ATMP). Knowledge of working in Clean-room and allied fabrication processes like Micromachining, Lithography and Grey-Scale Lithography, Laser-Writer, Oxidation and Wire-Bonding.	To contribute as a team member in the design, fabrication, testing and packaging of integrated devices, photonic MEMS devices, technological development & translational research in ATMP.

⁺Experience shall be counted after obtaining the minimum prescribed qualification.

Preferred requirement of applicant: Candidates with experience in product development, technology innovation, applied technology, etc.

Abbreviations used: UR-Unreserved, OBC-Other Backward Classes, SC-Scheduled Caste, EWS-Economically Weaker Section, PwBD-Persons with Benchmark Disability, OH-Orthopedically Handicapped, HH-Hearing Handicapped, VH-Visually Handicapped

Apart from the qualifications indicated above, any other recognized qualification that is equivalent to the prescribed qualification shall be treated at par with that qualification.

Job Description:-

Selected candidates will have to undertake research, development, and innovation activities at the Organisation. Placement of candidates in different functional groups, including Centers of CSIR-CSIO, may also be done as per the requirement of the Institute, keeping in mind the knowledge and experience of the selected candidates. In addition to the R&D activities, consultancy/sponsored/grant-in-aid projects are also to be handled either independently or in a team. Selected candidates, as per the requirements, may be required to take classes in the Laboratory unit of the Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR), which is offering Masters/Ph.D Degrees. Selected candidates will also have the opportunity to supervise Research Scholars of the Academy (AcSIR) leading to their Ph.D. degree as per the norms of the Academy. The incumbents may also be required to impart theoretical and practical training to the students of the Indo-Swiss Training Centre (an integral part of CSIR-CSIO).

General information and conditions:-

1. Benefits under Council service:

- a. These posts carry usual allowances, i.e. Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA), etc., as admissible to the central government employees and as made applicable to CSIR employees at the place of posting. Council employees are also entitled to accommodation according to the CSIR Residence Allotment Rules, subject to availability. If council or government accommodation is utilized, HRA will not be provided.
- b. In addition to the emoluments indicated against each category of posts, benefits such as reimbursement of Medical Expenses, Leave Travel Concession, and Children's Education Allowances, etc., are also available as per CSIR/Govt. of India (GoI) Rules as applicable to the Council Servants.
- c. The selected candidates will be governed by the 'National Pension System' or Extant Pension System based on defined contributions as adopted by CSIR for its employees.
- d. CSIR provides excellent opportunities to deserving candidates for career advancement under the Assessment Promotion Scheme for Scientists, as per rules as amended from time to time.
- e. Deserving candidates may be considered for advance increments based on recommendations of the Selection Committee, subject to acceptance by the Competent Authority, in accordance with the provisions outlined in the CSIR Recruitment and Promotion Rules.
- f. In regard to all the matters concerning service conditions of employees of the Society, Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the Fundamental and Supplementary Rules framed by the Govt. of India and such other rules and orders issued by the Govt. of India from time to time shall apply to the extent applicable to the employees of the Council.
- g. All the posts carry All India Service Liability (AISL), i.e. the candidate on selection may be asked to serve anywhere in the country.

2. Other conditions

- a. The applicant must be a citizen of India.
- b. All applicants must fulfill the essential requirements of the post and other conditions specified in the advertisement by the last date of receipt of online application. Applicants are advised to ensure that they possess the essential qualifications/experience laid down for the post(s) against which they are submitting their application(s). Inquiries regarding eligibility will not be entertained.
- c. The prescribed essential qualifications/experience are minimum and should be in the area as mentioned against respective post code. Mere possession of the prescribed essential qualifications/experience does not entitle candidates to be called for the interview. Duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short-listing the candidates for interview. Applicants should therefore provide all relevant information over and above the prescribed minimum qualification in their application, supported by appropriate documentation. Candidates must ensure that all information is complete and accurate. Candidates applying for the position with a Ph.D. (submitted) are advised to include valid documentary proof of their thesis submission date, issued by the appropriate authority of their University/Institution. Completion of Ph.D/ Masters Degree will be reckoned from the date of issue of Provisional Certificate/Notification of Result / Awarded Date, as the case may be. The candidates are required to upload one page Synopsis/ Abstract of Ph. D thesis/ M.Tech dissertation, wherever applicable.
- d. Applicants currently working in CSIR/Government Organizations /Autonomous Bodies/ Statutory Bodies/ Universities/PSUs, etc., as regular employee must inform their department or office and upload a "No Objection Certificate" (NOC) from their employer at the time of submitting the online application (as per attached format), failing which their candidature will NOT be considered.

- e. Applications not duly filled or uploaded without required certificates / documents will be liable for rejection.
- f. The screening and selection of candidates will be conducted on the basis of the documents and information provided in the online application only. If at any stage it is discovered that a candidate does not meet the prescribed eligibility criteria or has submitted incorrect or false information in the application form; their candidature will be cancelled, even after selection and CSIR will not be responsible for any consequences resulting from the submission of such false/inaccurate information. Therefore, the candidates must ensure that all information provided in the online application are accurate and correct.
- g. If a candidate claims a qualification as equivalent to those specified in the advertisement, they must provide an order/notification or letter indicating the authority (including number and date) that recognizes this equivalence. Failure to provide such documentation may result in the rejection of the application. The decision of the competent authority of CSIR concerning the equivalence of qualifications and the recognition of Universities/Institutes shall be final and binding.
- h. The period of experience in a discipline/area of work, wherever prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum educational qualifications.
- i. If any document or certificate is in a language other than Hindi or English, a self-attested transcript in Hindi or English is to be submitted with the application.
- j. The date for determining the upper age limit, qualifications and /or experience shall be the closing date prescribed for submission of online applications i.e. last date of submission of online application.
- k. Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) fulfilling the eligibility conditions prescribed under Gol instructions are encouraged to apply. Relaxation in age limit shall be applicable irrespective of the fact whether the post is reserved for them or not, provided the post is identified as suitable for Persons with Benchmark Disabilities.
- l. If a candidate is residing abroad, they may request to attend the interview online or have their candidature considered in-absentia by the Selection Committee. This request must be submitted in writing. However, the decision of the appointing authority in this regard shall be final and binding.
- m. Only outstation candidates called and found eligible for interview may be paid to and fro second class rail fare from the actual place of undertaking the journey or from the normal place of their residence, whichever is nearer to the place of interview on production of Rail Tickets/ Rail Ticket Numbers or any other proof of journey performed within India, as per rules. For road journeys between stations not connected by rail, the actual bus fare or road mileage at the lowest rate, may be reimbursed on production of documentary proof (bus tickets), as per Gol instructions on this subject.
- n. Any discrepancy found between the information given in the application and the original documents will render the candidate ineligible unless supported by valid documents/ affidavit. In such cases, the candidate will also not receive any reimbursement for travel fare.
- o. The decision of the Appointing Authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, conduct of examination/interview will be final and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidate.
- p. Canvassing in any form and/or bringing any influence, political or otherwise, will be treated as a disqualification for the post.
- q. The number of vacancies indicated against each category/post is provisional and may vary at the time of selection.
- r. Date of Birth filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the Matriculation/10th Standard or equivalent mark sheet/certificate indicating date of birth will be accepted for determining the age, and no subsequent request for change will be considered/granted. Where date of birth is not available in certificate/ mark sheets issued by concerned Educational Boards, a School leaving certificate indicating Date of Birth will be considered.
- s. The Appointing authority reserves the right to cancel the advertisement without providing any reason and may also decide not to fulfill any or all positions, if necessary.
- t. Notifications about the date of the interview, the recommendations of the Screening/Selection Committees, the criteria used, and any further updates, notices, addendum or corrigendum related to this advertisement will be posted solely on the CSIO official website. No individual notifications will be sent to candidates; thus, the candidates are advised to check the CSIO official website regularly.
- u. The selected candidates will be on probation for a specific period from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority. After successful completion of the probationary period, they will be considered for confirmation in accordance with the extant rules.
- v. Where a specific area or discipline is required as eligibility criteria for the post and if the same is not evident from the candidate's marks sheet and/or degree certificate from the concerned university, the candidates must provide valid document(s) to substantiate their claims, else, the decision of the Screening Committee regarding the acceptance or rejection of such claims will be final and binding on the candidates.

- w. Candidates should indicate as to whether any of their blood/close relatives [relation to a Government servant include the wife or husband, son or daughter, parents, brothers or sisters or any person related to any of them by blood or marriage, whether they are dependent on the Government servant or not] is working in CSIR-CSIO or any other National Labs/ Institutes/ Units of the CSIR.
- x. In the event of any inconsistency between Hindi and English version of this advertisement, the English version shall prevail.
- y. **NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED.** The Helpdesk contact mentioned on the website for online application is for resolution of operational issues related to online submission of application form only.

3. Age Limit & Relaxations :

- a. The upper age limit is relaxable up to 05 years for Scheduled Caste [SC]/ Scheduled Tribe [ST] and 03 years for Other Backward Class [OBC (NCL)], as per Government orders in force, only in respect of those cases where the posts/vacancies are reserved for respective categories.
- b. SC/ST/OBC(NCL) candidates who apply against the posts not reserved for them, i.e. Unreserved (UR) posts, will not be eligible for age relaxation and they will be treated at par with general candidates in respect of their selection [Application Fee Exemption is, however, applicable for SC and ST candidates in such cases].
- c. Candidates belonging to the reserved categories of SC/ST/OBC (NCL) must upload a scanned copy of their certificate with their applications. This certificate should be in the prescribed format and issued by the Competent Authority authorized to issue such certificates, such as the SDO, District Magistrate, or Deputy Commissioner, as specified by the Government of India.
- d. SC/ST/OBC certificates should be in the prescribed formats for appointment to posts under the Government of India (GoI). The OBC (Non-Creamy Layer) certificates must also meet the Non-Creamy Layer criteria for appointment to posts under the GoI as laid down by the GoI and not for appointment in any of the States of Union bearing references to those State Govt. orders.
- e. Eligibility for OBC candidates will be based on castes listed in the Central List of the Government of India, and their sub-caste must match the entries in this list; otherwise, their candidature will not be considered under any reserved category and will be treated as Unreserved (UR), if otherwise eligible. OBC candidates in the "Creamy Layer" are not entitled to concessions available to the OBC category and must indicate their category as General.
- f. The OBC (Non-Creamy Layer) are required to additionally furnish a 'Form of Declaration' supporting their claim that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediate preceding three financial years.
- g. SC/ST/OBC (NCL)/PwBD/EWS etc. candidates are required to present the original certificate in the prescribed format, signed by the specified authority, as and when asked. Candidate must upload a scanned copy of the requisite certificate along with the online application. However, the claim of the candidate belonging to the specific category will be regulated as per extant GoI guidelines on the subject.
- h. Relaxation in age limit upto five years will be allowed to the Council/ Government/ Autonomous Bodies/ Public Sector employees in accordance with the instruction and orders issued by the Government of India from time to time in this regard. This relaxation will be admissible to such candidates who are working in posts which are in the same line or allied cadre and where a relation could be established that the service already rendered in that particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of the post to which recruitment is being made. The decision in this regard will rest with the appointing authority.
- i. A candidate claiming to belong to the category of Council/ Government/ Autonomous Bodies/ Public Sector employees and thus seeking age relaxation under this para would be required to produce a Certificate issued after the date of advertisement from his/her Employer on the Office letter head to the effect that he/she is regularly appointed and not on casual/ad-hoc/daily wages/hourly paid/contract basis employee.
- j. The upper age limit is relaxable up to the age of 35 years for Widows, Divorced Women and Women Judicially separated from Husbands who are not remarried but no relaxation of educational qualification or method of recruitment (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates in respect of the posts reserved for them). The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce following documentary evidence:
 - i) In case of Widow, Death Certificate of her husband together with the Affidavit that she has not remarried since.

- ii) In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands, a certified copy of the judgment/decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an Affidavit in respect of divorced Women that they have not remarried since.
- k. Age relaxation of 10 (Ten) years [This implies that Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category candidates would get maximum 15 years age relaxation including 5 years meant for their respective categories. Similarly, OBC candidates would get maximum upto 13 years including 3 years age relaxation meant for OBC Category] in upper age limit shall be allowed to persons suffering from the following benchmark disabilities as per GOI instructions: (i) Category A – blindness and low vision; (ii) Category B – deaf and hard of hearing; (iii) Category C – locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (iv) Category D - autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (v) Category E – multiple disabilities from amongst persons under clauses (A) to (D) including deaf/blindness.
- l. The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for persons with disabilities or not, provided the post is identified suitable for the relevant category of disability.

Note: Definition of the above specified disabilities will be as per “THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016”.

The persons claiming age relaxation under this sub-para would be eligible for relaxation in conditions/ reservation in posts who suffer from not less than 40% of relevant benchmark disability. Those Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) who have availed the relaxation will have to submit a Certificate of Disability issued by the Competent Authority as per the form V, VI and VII of rule 18(1) under chapter 7 of Rights of Persons with Disabilities Rules 2017 dated 15.06.2017. The existing certificates of disability issued under the Persons with Disabilities Act 1995 (since repealed) shall continue to be valid for the period specified therein. In any case, the appointment of these candidates will be subject to their being found medically fit in accordance with the standards of medical fitness as prescribed by the Government for each individual Group ‘A’ posts to be filled by Direct Recruitment by Selection. No Application Fee is payable by them.

PLEASE NOTE, PwBD CANDIDATES SHOULD MENTION IN APPLICATIONS, THEIR CASTE/COMMUNITY LIKE SC/ST/OBC (NCL)/GEN/EWS and also produce Certificate of the concerned Caste/Community, as this is a horizontal reservation. A candidate under the category PwBD will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the appointing authority may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the applied posts.

- m. The benefit of reservation under EWS category will be regulated as per DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt.(Res.), dated 31.01.2019 and any other GoI instructions applicable in this regard, at the time of last date of submission of application. Further, the crucial/cut-off date for submitting Income and Asset certificate by the EWS candidate will be the closing date for receipt of online application for the post. Income & Asset Certificates issued subsequent to the crucial/cut-off date and for the later Financial Year shall not be accepted.
- n. Further, Family Gross Annual Income shall be computed for the financial year prior to the year of last date of submission of online application. For example, if the closing date for receipt of application for a post is August, 2022, the financial year for computing gross annual income of the family shall be 2021-2022 and the certificate shall be valid for 2022-2023.
- o. Any other Age relaxation shall be applicable as per extant GoI/ CSIR Recruitment Rules.
- p. Relaxation in age, over and above the stipulated limit, educational qualifications and/ or experience may be considered in the case of exceptionally meritorious candidates with the prior approval of DG, CSIR as per extant CSIR guidelines.

4. MODE OF SELECTION:

- a. Mere fulfillment of prescribed essential educational qualifications does not entitle a candidate to be called for interview. The duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short-listing the candidates to be called for interview by any one or more of the following methods:
- On the basis of higher educational qualifications.
 - On the basis of Desirable Qualifications and/or Desirable Experience in the relevant field or higher than the minimum prescribed in the advertisement.
 - On the basis of patent filed, publications in SCI/ Peer Reviewed journals, etc.
 - On the basis of quality, number and authorship (i.e. whether first author or co-author, corresponding author, etc.) of Scientific Journal Publications.
 - On the basis of research specialization/ Ph. D discipline determined from the topic of research publication/ Ph. D Thesis
 - On the basis of written test/ seminar.
 - By counting experience after the acquisition of essential qualifications.
 - By invoking experience even in cases where there is no experience mentioned either as an Essential Qualification (EQ) or as a Desirable Qualification (DQ).
 - Any other methodology as deemed fit by the Screening Committee.

(The candidate should, therefore, mention all qualifications and experience possessed by them in the relevant area over and above the minimum prescribed qualifications, supported with documents).

- b. Due weightage will be given to the candidates having experience in product development/ technology innovation/ translational research/ applied technology, etc., during the recruitment process. Accordingly, candidates claiming such achievements, if any, must mention them in the online application along with supporting documents.

5. How to apply :

- a. Eligible candidates are required to apply **ONLINE** by accessing the website <http://www.csio.res.in>.
- b. For online application process please refer "How-to-apply online" instructions, available on the above-mentioned website.
- c. The application is to be submitted in three distinct steps within prescribed timeline, as below: - i) Registration [online] ii) Fee Submission [online], if applicable. iii) Online application submission.
- d. If the candidate does not have a valid email ID, he/she should create a new valid email ID before applying online and should be kept active during the entire recruitment process.
- e. The deadline for the above-mentioned stages of application are as follows: -
1. **Start Date for registration/fee submission for Online application: 11.07.2025at 10:00 AM.**
 2. **Last Date for submission of Online application: 11.08.2025 at 5.00 PM.**
- f. Candidates are required to pay application fee of Rs. 500+18% GST= Rs 590/- as per 'Fee Payment Procedure' available on the website. No fee is payable, subject to uploading of relevant document, for SC/ST/PwBD/Women/Ex-Servicemen (as per CSIR instruction notified vide CSIR Policy Division Circular No. 5-1(603)/2018-PD dated 05.11.2024). Applications without the prescribed fee will not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection would be entertained.
- g. Candidate is required to upload his/her recent passport size scanned colour photograph, signature each [max size 50 KB] and also relevant certificates [max size 1 MB each] at the specified place in the online application.
- h. Applications submitted cannot be withdrawn, and fees paid are non-refundable under any circumstances. Additionally, fees cannot be held in reserve for future examinations or selections.
- i. If the Board, University, or Institute awards CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI grades etc., the candidate must convert these into a percentage using the formula provided by the concerned Board/University/Institution. Additionally, copy of the conversion formula issued by concerned Board/University/Institution must be uploaded along with online application. Failure to submit the conversion formula along with the online application form, if applicable, will result in the application being treated as incomplete.
- j. Only one application per candidate will be accepted for each postcode. If a candidate submits multiple online applications for the same postcode using different email addresses, only the most recent completed application will be considered. Candidates should retain a copy of the application print-out and any payment details for their records, as these will not be available after the application deadline.

- k. A candidate can apply for multiple postcodes, provided they fulfill all eligibility criteria for each individual postcode. However, the candidate must complete a separate application (excluding primary/registration details) along with the requisite application fee separately for each postcode.
- l. The candidate must register with their name, email address, and mobile number. After successful registration, the candidate can log in using their credentials to apply through the Online Application Portal. Once the application form is completed, the candidate can upload all relevant supporting documents and verify or edit the application to ensure it is accurate and complete. After finalizing the application, the candidate must click 'Submit' on the draft application and update the payment details, if applicable, to successfully submit the application form. Once the application is submitted, no further modifications or amendments will be permitted. It is important to keep a printout of the completed application form. Candidates should NOT send a hard copy at the appropriate time.
- m. Once submitted, any request for change or correction in the application form will not be accepted under any circumstances.
- n. In the event of a fake or fabricated application or registration, that misuses the name or photo of any other person, the candidate and/or cyber café will be held accountable for appropriate legal action.
- o. Candidates currently working in CSIR/Government Organisations/ Autonomous Bodies/ Statutory Bodies/ Universities/PSU etc., as regular employee, must upload a 'No Objection Certificate' (NOC) from their employer, along with their online application. Failure to do so will rendered the application as incomplete.
- p. Candidates are advised to check the website regularly. For addendum/corrigendum and updated information regarding this advertisement, please visit our website: <http://www.csio.res.in>.
- q. No separate individual information/intimation shall be sent to the candidates. Therefore, candidates are advised to keep visiting this website regularly.
- r. No separate call letters will be mailed to candidates. All notifications and communications will be sent via email provided by the candidate in the application form.
- s. Any information provided by an applicant in their online application form will be binding on the candidate. They will be liable for prosecution and civil consequences if the information or details submitted are found to be false at any later stage.

Note: Applicants are advised to strictly adhere to the instructions. The information submitted in the online application will be considered as final for further processing. The validation rules and design of the online application are based on the recruitment procedures outlined in the advertisement, and no representation in this regard will be entertained. Candidates should carefully read the advertisement and refer to the "Instructions" section on the application portal. Submission of an online application does not guarantee that the candidate meets all eligibility criteria stated in the advertisement. Applications are subject to subsequent scrutiny and may be rejected if ineligibility is discovered at later stages. Appointments for reserved positions will be provisional, pending verification of caste certificates through appropriate channels. If verification reveals that a candidate's claim to SC/ST/OBC/EWS/PwBD status is false or incorrect, their employment will be terminated immediately without assigning any reasons and without prejudice to further legal action, as deemed fit.

6. Following documents must be uploaded along with the online application form:

- a. The downloaded copy of e-receipt/ Payment receipt for the application fee of Rs. 590/- (wherever applicable).
- b. Recent passport-size colour photograph uploaded at the appropriate place.
- c. Signature of the candidate uploaded at the appropriate place.
- d. Copy of Matriculation/10th Standard or equivalent marksheet/certificate indicating date of birth or School leaving certificate indicating Date of Birth in support of Name and Date of Birth.
- e. Copy of Gazette Notification/Affidavit from the appropriate authority in support of a change of name/ mismatch in name/ variation in the name of candidate/ parents (if applicable).
- f. Copy of educational certificate(s) and/or marksheet(s) supporting the essential qualifications and any higher qualifications.
- g. Copy of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Class/ Economically Weaker Section / PwBD certificate(s) in the prescribed Government of India (GoI) format issued by the specified authority, if applicable.
- h. Copy of the 'Form of Declaration' from OBC (Non-Creamy Layer) candidates, supporting their claim in the

application that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediate preceding three financial years.

- i. Copy of the judgment/decreed from the appropriate court of law for widow, divorced, or judicially separated women, to verify the status of divorce or judicial separation, if applicable. Additionally, an affidavit confirming that such candidate has not remarried.
- j. Copy of the certificate issued by the competent authority in the prescribed format for Departmental candidates claiming age concession.
- k. Copy of experience certificate(s), if any.
- l. Copy of the 'No Objection Certificate' (NOC) from the employer for candidates currently working as regular employee in CSIR /Government Organisations /Autonomous Bodies /Statutory Bodies / Universities /PSUs etc.
- m. One page Synopsis/ Abstract of Ph.D. thesis/ M.Tech. dissertation.
- n. List of research publications in SCI / Peer reviewed journals etc., if applicable.
- o. Any other relevant certificates in support of the claim(s) made in the application, as applicable.

Note 1: The documents/ certificates uploaded must be legible.

Note 2: Applications without the required document(s) will be considered as incomplete will be summarily rejected.

Note 3: Candidates will be asked to bring the documents in original along with the self- attested photocopies at an appropriate time.

Note 4: The decision of the Appointing Authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection and conduct of examination/ seminar/ Interview/ test will be final and binding on the candidates.

DISCLAIMER

Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead to disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any of the Recruitment Process in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect. Clarifications / decisions given / to be given by the CSIR/CSIO regarding process for recruitment shall be final and binding.

Sr. Controller of Administration, CSIR-CSIO

FORMATS FOR CERTIFICATES:

1. Format of 'NO OBJECTION CERTIFICATE' from the employer of the candidate currently working as a regular employee in CSIR/ Government Organisations /Autonomous Bodies /Statutory Bodies/ Universities/ Public Sector Undertakings etc.
2. The Form of Certificate to be produced by Council / Government /Autonomous Bodies / Public Sector employees for claiming age concession.
3. The Form of Certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
4. The Form of Certificate to be produced by OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) applying for appointment to posts under the Government of India.
5. Form of declaration to be submitted by the OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) candidate (in addition to the community certificate).
6. Income &Asset Certificate to be produced by ECONOMICALLY WEAKER SECTION (EWS) candidate.

FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT ORGANISATIONS/AUTONOMOUS BODIES /STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS etc.

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No.

Date: [DD/MM/YYYY]

No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. [Advertisement Number]

This is to certify that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee], [Designation], is a permanent/regular employee of this department/organization and has been serving in the capacity of [Current Position] since [Joining Date].

This department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advt. No. [Advertisement Number] dated [Advertisement Date] for the position of [Post Code/Position]. This department/organization has no objection to Dr./Mr./Ms. [Employee's Name] participating in the selection process or being considered for the aforementioned employment in the new position.

It is also certified that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is not currently undergoing any penalties under the applicable conduct rules and Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is neither under suspension, nor any vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of this certificate.

This certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the said advertisement.

Place:

For [Name of Department/Organization],

[Signature of Issuing Authority] [Name of Issuing Authority] [Designation of Issuing Authority]

[Official Seal/Stamp]

[Contact Information]

[Department/Organization Address]

THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY DEPARTMENTAL CANDIDATESEMPLOYEES FOR CLAIMING AGE CONCESSION

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No.

Date: [DD/MM/YYYY]

CERTIFICATE FOR CLAIMING AGE CONCESSION FOR APPLYING AGAINST ADVERTISEMENT NUMBER

This is to certify that Dr./Mr./Ms S/o/D/o/W/o
Shri..... is a regularly appointed employee of
..... (Name of the Institute) and duties performed by him/her during the period(s) are as under:

- (i)
- (ii)
- (iii)

Certified that:

*(a) Dr./Mr./Ms.holds substantively a permanent post of
.....in the.....(Name of the Institute) with effect fromto
.....

OR

*(b) Dr./Mr./Ms. has been continuously in temporary service on a regular
basis in the post of at (Name of the Institute) with
effect from to

** Strike out which is not applicable.*

Place:

For [Name of the Institute]

[Signature of Issuing Authority]
[Name of Issuing Authority]
[Designation of Issuing Authority]

[Official Seal/Stamp]

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* Son/daughter* of
 of village/town* in District/Division*
 of the State/Union Territory* belongs to the
 caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:-

@ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950

@ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

@ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951

@ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, i 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act. 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act. 1987.]

@ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956

@ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Schedule Castes Order, 1962

@The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

@, The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964

@ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967

@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 @ The Constitution (Goa, Daman and Dill) Scheduled Tribes Order, 1968 @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

@ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

@ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990

@ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991

@ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act. 1991

@ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002

@ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002

@ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002

@ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

@ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another,

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati*Father/ Mother of Shri/ Shrimati/ Kumari*

..... of village/town*/Territory** in

District/ Division*of the State/ Union Territory*

who belong to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* issued by the..... dated.....

% 3. Shri/Shrimati/Kumari*and/or* his/her* family ordinarily resides in village/town* of District/Division* of the State/Union Territory*

Signature.....

**Designation.....

(With Seal of Office) State/Union Territory*

Place:.....

Date:.....

* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable

NOTE: The term "ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER
THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of
_____ village/town _____ in
District/Division _____ belongs to the _____ community which is
recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and
Empowerment's Resolution No. _____ dated
_____ * and/or his family ordinarily reside(s) in the
_____ District/Division _____ of
the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not
belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India,
Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004- Estt. (Res)
dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt.
(Res) dated 27th May, 2013**

Signature _____

Designation _____ §

Dated:

Seal

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

§ List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

FORM OF DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE 'OTHER BACKWARD CLASS' CANDIDATE (IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)

I, _____ Son/daughter of Shri _____
resident of village/town/city__ district _____
_____ state _____ hereby declare that I belong to the

_____ community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36102/22/93-Estt.(SCT) dated 8- 9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and as amended time to time.

I also declare that the condition of status/annual income for creamy layer of my Parents/guardian is within prescribed limits as _____ on _____ last _____ date _____ of _____ application.

Signature_____

Full Name_____

Place:_____

Address_____

Date:_____

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.....

Date:.....

VALID FOR THE YEAR.....

This is to certify that Shri/Smt./Kumari..... son/ daughter/ wife of..... permanent resident of,..... Village/ Street,.....Post Office,Territory.....Pin Code..... whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family**is below Rs. 8 lakhs (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/her family does not own or possess any of the following assets**:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above
- III. Residential plot of 100 Sq. Yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari..... belongs to the..... caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office.....

Name.....

Designation.....

<p>Recent passport size attested photograph of the applicant</p>
--

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2 : The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3 : The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.



सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
(वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
सैक्टर - 30सी, चंडीगढ़-160 030 (भारत)

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 11.07.2025

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 11.08.2025 (शाम 5:00 बजे तक)

विज्ञापन संख्या नियमित 2/2025 दिनांक 11.07.2025

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करियर के लिए एक अनूठा अवसर

सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ), चंडीगढ़, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत एक प्रमुख संस्थान है, जो माप विज्ञान और उपकरण प्रौद्योगिकियों पर बल देने के साथ वैज्ञानिक विषयों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त प्रकृति के बहुविषयक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में शामिल है। यह संगठन कृषि उपकरण, जैव चिकित्सा उपकरण, ऑप्टिकल उपकरण और प्रणाली, भू-वैज्ञानिक उपकरण, परिशुद्ध यांत्रिक प्रणाली, विश्लेषणात्मक तकनीक और अनुसंधान और विकास सहायता सुविधाएं, कम्प्यूटेशनल उपकरण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए समर्पित है। सीएसआईआर-सीएसआईओ उपर्युक्त क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के डिजाइन और विकास को शुरू करने और परियोजनाओं, बौद्धिक आउटपुट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना प्रणालियों का प्रबंधन करने के लिए वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रक्रिया में है।

मापन विज्ञान और उपकरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को करियर के रूप में अपनाने के लिए अपेक्षित अनुभव और उच्च स्तर की प्रेरणा के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और सिद्ध वैज्ञानिक उपलब्धियों वाले उत्साही भारतीय नागरिकों से चंडीगढ़ और चेन्नई स्थित इसके केंद्र में वैज्ञानिकों के निम्नलिखित पदों की रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

विभिन्न पदों के लिए मानदंडों के अनुसार परिलब्धियों और आयु सीमा का विवरण नीचे दिया गया है:

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर (7वे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)	*कुल परिलब्धियां (7वे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)	***ऊपरी आयु सीमा (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक) से अधिक नहीं
वैज्ञानिक	कुल पदों की संख्या - 17 यूआर-07 ओबीसी-07 (ओबीसी के लिए 01 बैकलॉग रिक्ति शामिल है)	पीएल-11 रु. 67700-208700	रु. 138000/- (लगभग)	32 वर्ष

	<p>एससी-02 ईडब्ल्यूएस-01</p> <p>उपरोक्त 17 पदों में से 03 पद पीडब्ल्यूबीडी (ओएच-01, एचएच-01 @ , वीएच-01 @) के लिए आरक्षित हैं।</p> <p>@ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां। यदि उक्त विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति, अर्थात HH-01 और VH-01, उपलब्ध नहीं हैं, तो इसे PwBD की अन्य श्रेणियों, अर्थात OH, HH, VH द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का समय प्रतिनिधित्व HH-01 और VH-01 रहेगा।</p>			
--	---	--	--	--

- 01.01.2025 तक न्यूनतम वेतनमान पर अनुमानित कुल परिलब्धियाँ, जिसमें चंडीगढ़/चेन्नई में मकान किराया भत्ता भी शामिल है। सीएसआईआर-सीएसआईओ नियमों के अनुसार सरकारी आवास, यदि उपलब्ध हों तो, आबंटित कर सकता है।
- ***कृपया विज्ञापन के शीर्षक "सामान्य जानकारी और शर्तें" के अंतर्गत आयु में छूट देखें।

पदों का विवरण नीचे दिया गया है:

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
वैज्ञानिक एससीटी-2001 अनुसूचित जाति	01	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एमई/एम.टेक। या कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीएच.डी. प्रस्तुत की गई हो।	निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव: सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकास (ओपन सोर्स, .NET प्रौद्योगिकी), डेटाबेस प्रबंधन (MYSQL, SQL सर्वर आदि), सेंसर/सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए API/वेब सेवा का डिजाइन, IoT प्रोटोकॉल, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकास/कार्यान्वयन।	अनुसंधान एवं विकास कार्य, कार्यक्षेत्र और उपयोगकर्ता साइट पर सिस्टम का सत्यापन, सॉफ्टवेयर और फ्रंट-एंड अनुप्रयोग डिजाइन, इंजीनियरिंग विश्लेषण और डिजाइन के लिए विज्ञ और सहयोगी सेंसिंग/कंप्यूटिंग में टीम के सदस्य के रूप में योगदान देना।
वैज्ञानिक एससीटी-2002 ओबीसी (एनसीएल)	01	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/उन्नत इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/मेक्ट्रॉनिक्स/एम्बेडेड सिस्टम/उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में एमई/एम.टेक। या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/	निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव: इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, एफपीजीए/एआरएम एप्लीकेशन प्रोसेसर, सिग्नल प्रोसेसिंग/इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकास/कार्यान्वयन।	अनुसंधान एवं विकास पहल, क्षेत्र और उपयोगकर्ता साइट पर सिस्टम का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर विकास, इंजीनियरिंग विश्लेषण और डिजाइन के लिए विज्ञ और सहयोगी सेंसिंग/कंप्यूटिंग में एक टीम सदस्य के रूप में योगदान देना।

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
		लेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/उन्नत इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/मेक्ट्रॉनिक्स/एम्बेडेड सिस्टम/उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में पीएच.डी. प्रस्तुत की गई हो।		
वैज्ञानिक एससीटी-2003 इंडब्ल्यूएस	01	पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग) - भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/कम्प्यूटेशनल भौतिकी या समकक्ष क्षेत्र में प्रस्तुत।	प्रकाशिकी/फोटोनिक्स/होलोग्राफी (डिजिटल होलोग्राफी/डिजिटल इंटरफेरोमेट्री/कंप्यूटर होलोग्राफी) के क्षेत्र में कम्प्यूटेशनल भौतिकी में अनुभव प्रमाणित प्रकाशन/पेटेंट के साथ पीएच.डी. पश्चात अनुसंधान अनुभव।	प्रकाशिकी और फोटोनिक्स से संबंधित एल्गोरिदम का विकास, मुख्य रूप से डिजिटल होलोग्राफी और उन्नत प्रदर्शन प्रौद्योगिकियों हेतु कंप्यूटर-सृजित होलोग्राम का सृजन।
वैज्ञानिक एससीटी-2004 यूआर	01	पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग) - भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, प्रकाशिकी, फोटोनिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग या समकक्ष क्षेत्र में प्रस्तुत	क्वांटम संचार/क्वांटम सेंसिंग/क्वांटम ऑप्टिक्स/क्वांटम उपकरणों के क्षेत्र में प्रकाशन/पेटेंट/उत्पाद विकास/परियोजनाओं के निष्पादन द्वारा प्रमाणित अनुभव। और/या क्वांटम फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट (क्यूपीआईसी), ऑन-चिप क्वांटम लॉजिक गेट्स, फोटोनिक क्यूबिट्स, ऑन-चिप एंटेगल्ड फोटॉन पेयर सोर्स के	क्वांटम प्रणालियों, ऑन-चिप क्वांटम उपकरणों का विकास। डिजाइन, निर्माण (लिथोग्राफी और ड्राई एचिंग सिस्टम का उपयोग करके) और ऑन-चिप क्वांटम सर्किट, संचार और संवेदन के लिए क्वांटम सिस्टम के परीक्षण से संबंधित क्रियाकलाप।

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
			डिजाइन, निर्माण और लक्षण वर्णन में अनुभव होना चाहिए। प्रमाणित प्रकाशन/पेटेंट के साथ पीएच.डी. के बाद अनुसंधान अनुभव।	
वैज्ञानिक एससीटी-2005 अनुसूचित जाति	01	पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग) - भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/प्रकाशिकी/फोटोनिक्स/या समकक्ष क्षेत्र में।	प्रकाशिकी/फोटोनिक्स/फाइबर प्रकाशिकी में अनुभव। लिथोग्राफी तकनीक का उपयोग करके ऑप्टिकल और फोटोनिक्स घटकों के निर्माण में अनुभव प्रमाणित प्रकाशन/पेटेंट के साथ पीएच.डी. पश्चात अनुसंधान अनुभव।	उन्नत नैनो/माइक्रो ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स घटकों और उपकरणों पर डिजाइन, निर्माण (लिथोग्राफी और ड्राई एचिंग सिस्टम का उपयोग करके) और प्रयोग।
वैज्ञानिक एससीटी-2006 ओबीसी (एनसीएल)	01	भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/एकीकृत फोटोनिक्स/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग या समकक्ष के क्षेत्र में पीएच.डी.	सिलिकॉन फोटोनिक्स उपकरणों, एकीकृत फोटोनिक्स उपकरणों और लिथोग्राफी तकनीकों के डिजाइन, निर्माण और लक्षण वर्णन में अनुभव प्रकाशन/पेटेंट प्रमाणित होने के साथ पीएच.डी. पश्चात अनुसंधान अनुभव।	चयनित अभ्यर्थी सिलिकॉन फोटोनिक्स डिवाइस क्षेत्र में काम करेंगे और एकीकृत फोटोनिक्स उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और लक्षण-वर्णन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होंगे।
वैज्ञानिक एससीटी-2007 यूआर	01	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/डाटा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एमई/एम.टेक.	लिनक्स एवं लिनक्स सिस्टम प्रशासन, कंप्यूटर नेटवर्क प्रबंधन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा एवं सूचना	सॉफ्टवेयर डिजाइन एवं विकास, नेटवर्क एवं सर्वर प्रबंधन, आईसीटी सेवा डिजाइन एवं प्रबंधन में योगदान देना।

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
		या कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/डाटा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग)।	प्रबंधन, बिग डेटा हैंडलिंग और आईसीटी प्रबंधन में अनुभव	
वैज्ञानिक एससीटी-2008 ओबीसी (एनसीएल)	01	कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एमई / एम.टेक। या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी / डेटा विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में पीएच.डी. (विज्ञान / इंजीनियरिंग)।	निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव: छवि/संकेत प्रसंस्करण, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम, यूएवी, एआर/वीआर सिस्टम, सेंसर और इंस्ट्रूमेंटेशन, एकीकृत सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटिंग डिवाइस, एआई, एमएल और आईओटी।	वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में एआई-आधारित प्रणालियों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में एक टीम सदस्य के रूप में योगदान देना, स्वायत्त प्रणालियों और संबद्ध अनुप्रयोगों का डिजाइन और विकास, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट/सेंसर और प्रणालियों का डिजाइन और एकीकरण
वैज्ञानिक एससीटी-2009 यूआर	01	कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी/डेटा विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव: वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम, एफपीजीए, ईडीए, बेअर मेटल प्रोग्रामिंग,	भविष्योन्मुखी एवं नवीन अनुप्रयोगों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
		इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में एमई/एम.टेक या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी / डेटा विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में पीएच.डी. (विज्ञान / इंजीनियरिंग)।	इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक (आईआरएसटी), डीएस (डिस्ट्रिब्यूटेड अपचर सिस्टम), सेंटरलाइन एरियल मॉनिटरिंग सिस्टम, क्यूइंग सिस्टम पर एम्बेडेड एप्लिकेशन डेवलपमेंट।	गतिविधियों में टीम सदस्य के रूप में योगदान देना।
वैज्ञानिक एससीटी-2010 ओबीसी (एनसीएल)	01	मैकेनिकल इंजीनियरिंग/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एमई/एम.टेक. या मैकेनिकल इंजीनियरिंग/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में पीएच.डी.	सामाजिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ यांत्रिक डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में अनुभव।	एवियोनिक्स, स्मार्ट विनिर्माण से संबंधित डिजाइनिंग और विनिर्माण गतिविधियाँ।
वैज्ञानिक एससीटी-2011 ओबीसी (एनसीएल)	01	विनिर्माण इंजीनियरिंग / उत्पादन इंजीनियरिंग / इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एम.ई. / एम.टेक। या	निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव : ऑप्टिकल निर्माण तकनीक जैसे पीसना, पॉलिश करना, सटीक माप उपकरण और मेट्रोलॉजी तकनीक।	यांत्रिक और ऑप्टिकल घटकों के यांत्रिक और ऑप्टिकल निर्माण, संयोजन और मापन पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न होना।

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
		विनिर्माण इंजीनियरिंग / उत्पादन इंजीनियरिंग / इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएच.डी.		
वैज्ञानिक एससीटी-2012 यूआर	01	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एमई/एम.टेक या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग) प्रस्तुत की गई।	इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, निर्माण तकनीकों में अनुभव	रणनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न होना।
वैज्ञानिक एससीटी-2013 ओबीसी (एनसीएल)	01	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/एप्लाइड फिजिक्स के क्षेत्र में एमई/एम.टेक या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/एप्लाइड फिजिक्स में पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग) प्रस्तुत की गई हो	विशिष्ट-समीक्षित एससीआई प्रकाशनों और/या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पेटेंट (दायर/स्वीकृत) द्वारा प्रमाणित अनुसंधान एवं विकास अनुभव	परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित सुविधा में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शामिल करना।
वैज्ञानिक एससीटी-2014 ओबीसी	01	भौतिकी/इंजीनियरिंग भौतिकी/पदार्थ विज्ञान/पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरिंग या	मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग/ई-बीम वाष्पीकरण/थर्मल वाष्पीकरण	भौतिक वाष्प जमाव पद्धतियों का उपयोग करते हुए दृश्य और IR क्षेत्र के लिए उन्नत पतली

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
(एनसीएल)		समकक्ष क्षेत्रों में पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग)।	जैसी भौतिक वाष्प जमाव तकनीकों पर कार्य का अनुभव। पतली फिल्म और उसके उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और लक्षण-वर्णन में अनुभव। पतली फिल्मों की संरचना-गुण-प्रसंस्करण संबंधों को निकालने में अनुभव।	फिल्म कोटिंग्स का विकास और निर्माण करना। उभरती हुई कोटिंग प्रौद्योगिकियों का अनुकरण, प्रयोगात्मक निर्माण और लक्षण-वर्णन करना। ऑप्टिकल उपकरणों के लिए पतली फिल्म जमाव हेतु विधियों का विकास एवं अनुकूलन करना।
वैज्ञानिक एससीटी-2015 यूआर	01	इंस्ट्रूमेंटेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग) या समकक्ष।	फोटोनिक्स, एमईएमएस इंटरफेसिंग और एकचुएटर्स, एटीएमपी में अनुभव क्लीन रूम और संबद्ध निर्माण प्रक्रियाओं जैसे माइक्रोमैचिंग, लिथोग्राफी और ग्रे-स्केल लिथोग्राफी, फोटोनिक डिवाइस सिमुलेशन, लेजर-राइटर, ऑक्सीकरण और वायर-बॉन्डिंग में काम करने का अनुभव।	ऑप्टिकल घटकों, सेंसिंग उपकरणों के एटीएमपी में तकनीकी विकास और स्थानान्तरणीय अनुसंधान में संलग्न होना। एकीकृत उपकरणों, फोटोनिक्स, एमईएमएस उपकरणों का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और पैकेजिंग।
वैज्ञानिक एससीटी-2016 यूआर	01	एमई / एम.टेक (इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिकल / इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग / कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग / औद्योगिक प्रबंधन / प्रौद्योगिकी प्रबंधन या	बौद्धिक संपदा, लाइसेंसिंग और व्यावसायीकरण प्रक्रियाओं में अनुभव। व्यापार मॉडल, बाजार में प्रवेश की रणनीतियों, साझेदारी विकास और नेटवर्किंग कौशल का ज्ञान।	परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों के समर्थन में उद्योग के साथ संपर्क स्थापित करना।

पोस्ट, पोस्ट कोड और श्रेणी	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/विशिष्टियां
		पीएच.डी. (इंजीनियरिंग) थीसिस प्रस्तुत की गई		
वैज्ञानिक एससीटी-2017 यूआर	01	इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/या समकक्ष के क्षेत्र में प्रस्तुत पीएच.डी. (विज्ञान/इंजीनियरिंग)।	फोटोनिक्स-एमईएमएस इंटरफेसिंग और एक्ट्यूएटर्स, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) में अनुभव। क्लीन-रूम और संबद्ध निर्माण प्रक्रियाओं जैसे माइक्रोमशीनिंग, लिथोग्राफी और ग्रे-स्केल लिथोग्राफी, लेजर-राइटर, ऑक्सीकरण और वायर-बॉन्डिंग में काम करने का ज्ञान।	एटीएमपी में एकीकृत उपकरणों, फोटोनिक्स एमईएमएस उपकरणों, तकनीकी विकास और ट्रांसलेशनल अनुसंधान के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और पैकेजिंग में एक टीम सदस्य के रूप में योगदान देना।

* अनुभव की गणना न्यूनतम निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद की जाएगी।

आवेदक से प्राथमिक अपेक्षा : उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी नवाचार, अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी आदि में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर : यूआर-अनारक्षित, ओबीसी-अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी-अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी-बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, ओएच-ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग, एचएच-श्रवण विकलांग, वीएच-दृष्टि विकलांग

ऊपर दर्शाई गई योग्यताओं के अतिरिक्त, कोई अन्य मान्यता प्राप्त योग्यता जो निर्धारित योग्यता के समतुल्य हो, उसे उस योग्यता के समतुल्य माना जाएगा।

कार्य का विवरण :

चयनित उम्मीदवारों को संगठन में अनुसंधान, विकास और नवाचार गतिविधियों में भाग लेना होगा। संस्थान की आवश्यकता के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों के ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, CSIR-CSIO के केंद्रों सहित विभिन्न कार्यात्मक समूहों में उम्मीदवारों की नियुक्ति भी की जा सकती है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों के अलावा, परामर्श/प्रायोजित/अनुदान-सहायता परियोजनाओं को भी स्वतंत्र रूप से या एक टीम में संभाला जाना है। आवश्यकतानुसार, चयनित उम्मीदवारों को वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी (AcSIR) की प्रयोगशाला इकाई में कक्षाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है, जो मास्टर्स/पीएचडी डिग्री प्रदान कर रही है। चयनित उम्मीदवारों को अकादमी के मानदंडों के अनुसार पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त करने के लिए अकादमी (AcSIR) के शोध विद्वानों की देखरेख में कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। पदाधिकारियों को इंडो-स्विस प्रशिक्षण केंद्र (CSIR-CSIO का एक अभिन्न अंग) के छात्रों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता हो सकती है।

सामान्य जानकारी एवं शर्तें:-

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

- I. इन पदों पर सामान्य भत्ते अर्थात् महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं और सीएसआईआर कर्मचारियों की तैनाती के स्थान पर लागू हों, देय हैं। परिषद कर्मचारी भी सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों के अनुसार आवास के हकदार हैं, जो उपलब्धता के अधीन है। यदि परिषद या सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।
- II. प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए दर्शाई गई परिलब्धियों के साथ-साथ चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ते आदि जैसे लाभ भी सीएसआईआर/भारत सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं, जो परिषद कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
- III. चयनित अभ्यर्थियों पर सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए निर्धारित अंशदान पर आधारित 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' या विद्यमान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
- IV. सीएसआईआर समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार, वैज्ञानिकों के लिए मूल्यांकन पदोन्नति योजना के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों को कैरियर में उन्नति के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
- V. योग्य उम्मीदवारों को सीएसआईआर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संबंधित चयन समिति की सिफारिशों पर अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।
- VI. सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मौलिक और अनुपूरक नियम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य नियम व आदेश परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- VII. सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) लागू होगा, अर्थात् चयनित होने पर उम्मीदवार को देश में कहीं भी सेवा करने के लिए तैनात किया जा सकता है।

2. अन्य शर्तें

- क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

- ख. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक विज्ञापन में निर्दिष्ट पद के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास उस पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता/अनुभव हो, जिसके लिए वे अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। पात्रता के बारे में पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ग. निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं/अनुभव न्यूनतम हैं और संबंधित पोस्ट कोड के सामने उल्लिखित क्षेत्र में ही होनी चाहिए। निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं/अनुभव रखने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। इसलिए आवेदकों को अपने आवेदन में निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिनका उचित दस्तावेज समर्थन करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी पूर्ण और सटीक है। पीएच.डी. (प्रस्तुत) के साथ पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी थीसिस जमा करने की तारीख का वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें। पीएच.डी./स्नातकोत्तर डिग्री को, अनंतिम प्रमाणपत्र/परिणाम की अधिसूचना/डिग्री जारी होने, जैसा भी मामला हो, की तिथि से पूरा होना माना जाएगा।
- घ. वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत आवेदकों को अपने आवेदन के विषय में अपने विभाग या कार्यालय को सूचित करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने नियोक्ता से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” (एनओसी) लेकन अपलोड करना होगा (संलग्न प्रारूप के अनुसार), अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ङ. बिना आवश्यक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों या अविधिवत् रूप से भरे गए/अपलोड किए गए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- च. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत की है, तो चयन के बाद भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और सीएसआईआर ऐसी गलत/असंगत जानकारी प्रस्तुत करने के फलस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सटीक और सही है।
- छ. यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में विनिर्दिष्ट योग्यता के समकक्ष योग्यता का दावा करता है, तो उसे एक आदेश/अधिसूचना या पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस आदेश (संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख हो जो इस समतुल्यता को मान्यता देता है। ऐसे दस्तावेज प्रदान न करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। योग्यता की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- ज. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि के बाद गिनी जाएगी।
- झ. यदि कोई दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन के साथ उसकी हिंदी या अंग्रेजी में स्व-सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
- ण. ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी अर्थात् ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।
- त. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि पद उनके लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो। हालाँकि, इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- थ. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए और योग्य पाए गए केवल बाहरी अभ्यर्थियों को ही यात्रा के वास्तविक स्थान से या उनके निवास के सामान्य स्थान से, जो भी साक्षात्कार के स्थान के निकट हो, आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे नियमों के अनुसार रेल टिकट/रेल टिकट संख्या या भारत के भीतर की गई यात्रा का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें। रेल द्वारा न जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा का दस्तावेजी प्रमाण (बस टिकट) प्रस्तुत करने पर वास्तविक बस किराया अथवा न्यूनतम दर पर सड़क माईलेज की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जो कि इस विषय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप होगी।
- द. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि वैध दस्तावेजों/शपथपत्र द्वारा समर्थित न हो। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को यात्रा किराए के लिए कोई प्रतिपूर्ति भी नहीं मिलेगी।
- ध. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। उम्मीदवार की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- न. किसी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना, पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।
- प. दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा चयन के समय इसमें परिवर्तन हो सकता है।
- फ. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि और मेट्रिकुलेशन/10^{वीं} कक्षा या समकक्ष मार्कशीट/प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा, और बाद में इसमें परिवर्तन के लिए किसी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट में जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, तो जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र को आधार माना जाएगा।
- ब. नियुक्ति प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा यदि आवश्यक हो तो किसी एक या सभी पदों को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।
- भ. उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी, इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CSIO की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
- म. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक निश्चित अवधि तक के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें स्थायी करने पर विचार किया जाएगा।
- य. जहां पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में एक विशिष्ट क्षेत्र या विषय की आवश्यकता होती है और यदि यह उम्मीदवार की अंकतालिका और/या संबंधित विश्वविद्यालय के डिग्री प्रमाणपत्र से स्पष्ट नहीं होता है, तो उम्मीदवारों को अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा, ऐसे दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में संवीक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।
- र. उम्मीदवारों को यह जानकारी देनी होगी कि क्या उनका कोई रक्त/निकट संबंधी [सरकारी कर्मचारी के संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से रक्त या विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं] सीएसआईआर-सीएसआईओ या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में कार्यरत है।
- ल. इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की असंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
- व. **किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।** ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर उल्लिखित हेल्पडेस्क संपर्क नम्बर केवल आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने से संबंधित परिचालन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए है।

3. आयु सीमा एवं छूट :

- I. अनुसूचित जाति [एससी]/अनुसूचित जनजाति [एसटी] के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी (एनसीएल)] के लिए 03 वर्ष की छूट दी जाएगी तथा यह लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों में देय होगी, जहां पद/रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।
- II. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार, जो उनके लिए अनारक्षित पदों, यानि अनारक्षित (यूआर) पदों के लिए आवेदन करते हैं, आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे और उनके चयन के संबंध में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट को प्रावधान रहेगा]।
- III. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ अपने संबंधित प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, जैसे कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट एसडीओ, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर द्वारा ही जारी किया होना चाहिए ।
- IV. भारत सरकार (जीओआई) के पदों पर नियुक्ति के लिए एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-क्रीमी लेयर मानदंडों के अनुसार होना चाहिए, न कि संघ के किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए उन राज्यों के आदेशों के संदर्भ के अनुरूप।
- V. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों के आधार पर होगी, और उनकी उपजाति इस सूची में प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं मानी जाएगी और अन्यथा पात्र होने पर भी उन्हें अनारक्षित (यूआर) ही माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" में ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य वर्ग में ही दर्शानी होगी।
- VI. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।
- VII. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस आदि उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों तथा जिसे मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। हालांकि, विशिष्ट श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के दावे को इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- VIII. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार परिषद/सरकारी/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। यह छूट ऐसे उम्मीदवारों के लिए होगी जो उसी श्रेणी या संबद्ध संवर्ग के पदों पर कार्यरत हैं और जहाँ यह स्थापित किया जा सके कि उस विशेष पद पर पहले से की गई सेवा उस पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में उपयोगी होगी, जिस पर भर्ती की जा रही है। इस संबंध में निर्णय का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास रहेगा।
- IX. स्वयं को परिषद/सरकारी/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले तथा इस पैरा के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता द्वारा कार्यालय के पत्रशीर्ष पर विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किया गया एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लिखित हो कि वह कर्म

कार्यालय में नियमित रूप से नियुक्त है तथा आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा वेतन/अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

- X. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली महिलाओं, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के मामलों में 40 वर्ष) तक की छूट दी गई है, लेकिन शैक्षणिक अर्हता अथवा भर्ती की पद्धति में कोई छूट नहीं दी गई है। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा यह शपथ पत्र कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
 - तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक पृथक्करण के तथ्य की पुष्टि के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो तथा तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथपत्र कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।
- XI. भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निम्नलिखित मानक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट दी जाएगी [इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 15 वर्ष की छूट मिलेगी जिसमें उनके संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी प्रकार, ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी जिसमें ओबीसी श्रेणी के लिए 3 वर्ष की छूट शामिल है]: (i) श्रेणी ए - नेत्रहीन और अल्प दृष्टि; (ii) श्रेणी बी - बधिर और सुनने में कठिनाई; (iii) श्रेणी सी - मस्तिष्क पक्षाघात, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता; (iv) श्रेणी डी - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक रोग; (v) श्रेणी ई - खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बधिरता/नेत्रहीनता सहित बहुदिव्यांगताएं।
- XII. विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद विकलांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त हों।

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी।

इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति, जिनकी बेंचमार्क दिव्यांगता 40% से कम नहीं है, उपर्युक्त पदों हेतु शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (PwBD) जिन्होंने छूट का लाभ उठाया है, उन्हें दिनांक 15.06.2017 के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम-2017 के अध्याय 7 के नियम 18(1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग जन अधिनियम 1995 (अब निरस्त) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता के मौजूदा प्रमाणपत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि तक के लिए वैध बने रहेंगे। किंतु किसी भी स्थिति में इन उम्मीदवारों की नियुक्ति, चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत ग्रुप 'ए' पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने पर ही होगी। उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

कृपया ध्यान दें, दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी जाति/समुदाय जैसे कि एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)/जनरल/ईडब्ल्यूएस का उल्लेख करना होगा और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि यह एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। दिव्यांग श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए

तभी योग्य माना जाएगा जब वह (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) आवेदित पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

- XIII. EWS श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ को DoPT के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरक्षण) तथा इस संबंध में भारत सरकार के किन्हीं अन्य लागू निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के समय विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा, EWS उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जमा करने की विशिष्ट/कट-ऑफ तिथि पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। विशिष्ट/कट-ऑफ तिथि के बाद तथा बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय और संपत्ति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- XIV. इसके अलावा, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त, 2022 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 होगा और प्रमाणपत्र 2022-2023 के लिए वैध होगा।
- XV. आयु में अन्य किसी भी प्रकार की छूट भारत सरकार/सीएसआईआर भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी।
- XVI. असाधारण मेधावी उम्मीदवारों के मामले सीएसआईआर के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्व अनुमोदन से आयु, शैक्षिक योग्यता और/या अनुभव में विनिर्धारित सीमा से अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।

4. चयन पद्धति :

- I. केवल निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने से ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी:
- उच्च शैक्षणिक अर्हता के आधार पर।
 - वांछनीय अर्हता और/या संबंधित क्षेत्र में वांछनीय अनुभव या विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक के आधार पर।
 - दायर पेटेंट, एससीआई/पीयर रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशन आदि के आधार पर।
 - वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशनों की गुणवत्ता, संख्या और लेखकत्व (अर्थात् प्रथम लेखक या सह-लेखक, संवाददाता लेखक, आदि) के आधार पर।
 - शोध प्रकाशन/पीएच.डी. थीसिस के विषय से निर्धारित अनुसंधान विशेषज्ञता/पीएच.डी. विषय के आधार पर
 - लिखित परीक्षा/सेमिनार के आधार पर।
 - अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के बाद अनुभव की गणना करके।
 - उन मामलों में भी अनुभव पर विचार किया जाएगा, जहां अनिवार्य अर्हता(ईक्यू) या वांछनीय अर्हता (डीक्यू) के रूप में कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।
 - संवीक्षा समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य कार्यप्रणाली।

(अतः अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित अर्हता के अतिरिक्त अपनी सभी अर्हताओं और अनुभव का उल्लेख दस्तावेजों सहित करना चाहिए) ।

- II. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी नवाचार/अंतरणीय अनुसंधान/अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी आदि में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उचित महत्व दिया जाएगा। तदनुसार, ऐसी उपलब्धियों का दावा करने वाले उम्मीदवारों, यदि कोई हों तो, को सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में इस अनुभव का उल्लेख करना होगा।

5. आवेदन कैसे करें :

- I. पात्र अभ्यर्थियों को वेबसाइट <http://www.csio.res.in> पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- II. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन आवेदन कैसे करें" निर्देश देखें।
- III. आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर तीन अलग-अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाना है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -
 - i) पंजीकरण [ऑनलाइन] ii) शुल्क जमा करना [ऑनलाइन], यदि लागू हो। iii) ऑनलाइन आवेदन जमा करना।
- IV. यदि अभ्यर्थी के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखना चाहिए।
- V. आवेदन के उपर्युक्त चरणों की अंतिम तिथि इस प्रकार है: -
 1. ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण/शुल्क जमा करने की आरंभ तिथि: 11.07.2025 प्रातः 10:00 बजे।
 2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 11.08.2025 शाम 5:00 बजे तक।
- VI. उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'शुल्क भुगतान प्रक्रिया' के अनुसार 500/- रुपये + 18% जी एस टी = 590/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला/भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, बशर्ते कि वे प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें (सीएसआईआर नीति प्रभाग परिपत्र संख्या 5-1(603)/2018-पीडी दिनांक 05.11.2024 के अनुसार अधिसूचित सीएसआईआर निर्देश के अनुसार)। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- VII. अभ्यर्थी को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर (अधिकतम आकार 50 केबी) तथा संबंधित प्रमाण पत्र (अधिकतम आकार 1 एमबी) ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
- VIII. जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते, और भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य की परीक्षाओं या चयनों के लिए फीस को आरक्षित नहीं रखा जा सकता।
- IX. यदि बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI ग्रेड आदि प्रदान करता है, तो उम्मीदवार को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा जारी रूपांतरण फॉर्मूले की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ रूपांतरण फॉर्मूला जमा नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा।
- X. प्रत्येक पोस्टकोड के लिए प्रति अभ्यर्थी केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अलग-अलग ईमेल पत्तों का उपयोग करके एक ही पोस्टकोड के लिए कई ऑनलाइन आवेदन जमा करता है, तो केवल सबसे हाल ही में पूरे किए गए आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट-आउट और किए गए भुगतान विवरण की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ये आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उपलब्ध नहीं होंगे।

- XI. एक उम्मीदवार कई पोस्टकोड के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत पोस्टकोड के लिए सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हों। हालाँकि, उम्मीदवार को प्रत्येक पोस्टकोड के लिए अलग से अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ एक अलग आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) पूरा करना होगा।
- XII. उम्मीदवार को अपने नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। एक बार आवेदन पत्र पूरा हो जाने के बाद, उम्मीदवार सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सत्यापित या संपादित कर सकते हैं कि यह सटीक और पूर्ण है। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद, उम्मीदवार को आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए ड्राफ्ट आवेदन पर 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा और यदि लागू हो तो भुगतान विवरण अपडेट करना होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, कोई और संशोधन या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, उनसे उचित समय पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- XIII. एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, उसमें परिवर्तन या सुधार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- XIV. किसी भी फर्जी या विसंगत आवेदन या पंजीकरण के मामले में, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम या फोटो का दुरुपयोग किया गया हो, अभ्यर्थी और/या संबंधित साइबर कैफे को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- XV. वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) लेकर अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन अधूरा माना जाएगा।
- XVI. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखें। इस विज्ञापन से संबंधित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://www.csio.res.in> देखें।
- XVII. अभ्यर्थियों को अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना/जानकारी नहीं भेजी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।
- XVIII. उम्मीदवारों को अलग से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। सभी सूचनाएं और संप्रेषण उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे।
- XIX. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगी। यदि बाद में किसी भी चरण में प्रस्तुत की गई जानकारी या विवरण गलत पाया जाता है, तो उन पर कानूनी एवं सिविल कार्रवाई की जाएगी।

नोट: आवेदकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के विधिमान्य नियम और विज्ञापन में उल्लिखित भर्तियों पर आधारित हैं और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवेदन पोर्टल पर "निर्देश" खंड का संदर्भ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि उम्मीदवार विज्ञापन में बताए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आवेदन बाद की जांच के अधीन हैं और यदि बाद में जांच के दौरान अयोग्यता पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आरक्षित पदों के लिए नियुक्तियाँ तब तक अनंतिम होंगी जब तक उचित चैनलों के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन लंबित रहता है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी का दावा झूठा या गलत है, तो बिना कोई कारण बताए और आगे की कानूनी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियुक्ति तुरंत निरस्त की दी जाएगी।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए:

- I. 590/- रुपये के आवेदन शुल्क की ई-रसीद/भुगतान रसीद की डाउनलोड की गई प्रति (जहां लागू हो)।
- II. नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ उचित स्थान पर अपलोड किया गया।
- III. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर उचित स्थान पर अपलोड किया गया।
- IV. मैट्रिकलेशन/10^{वीं} कक्षा या समकक्ष अंकपत्र/जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
- V. उम्मीदवार/माता-पिता (यदि लागू हो) के नाम में परिवर्तन/नाम में विसंगति/नाम में भिन्नता के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना/शपथपत्र की प्रति।
- VI. अनिवार्य अर्हताओं और किसी अन्य उच्चतर अर्हता का समर्थन करने वाले शैक्षिक प्रमाणपत्रों और/या अंकपत्रों की प्रतिलिपि।
- VII. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी का विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार (जीओआई) प्रारूप में प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- VIII. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों से 'घोषणा पत्र' की प्रतिलिपि, जिसमें आवेदन में उनके दावे का समर्थन किया गया हो कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।
- IX. विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं के संबंध में तलाक या न्यायिक पृथकीकरण की स्थिति को सत्यापित करने के लिए उचित न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रति, यदि लागू हो। इसके अतिरिक्त, एक हलफनामा जो पुष्टि करता है कि ऐसे उम्मीदवार ने दोबारा शादी नहीं की है।
- X. आयु में छूट का दावा करने वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति।
- XI. अनुभव प्रमाणपत्र(ओं) की प्रतिलिपि, यदि कोई हो।
- XII. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता से 'अनापति प्रमाण पत्र' (एनओसी) की प्रतिलिपि।
- XIII. पीएच.डी. थीसिस/एम.टेक. शोध प्रबंध का एक पृष्ठ का सारांश/सार।
- XIV. एससीआई / सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं आदि में शोध प्रकाशनों की सूची , यदि लागू हो।
- XV. आवेदन में किए गए दावे(ओं) के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो।

नोट 1: अपलोड किए गए दस्तावेज/प्रमाणपत्र सुपठ्य होने चाहिए।

नोट 2: आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को अपूर्ण मानकर तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नोट 3: अभ्यर्थियों को उचित समय पर मूल दस्तावेज तथा उनकी स्व-सत्यापित फोटोप्रतियां लाने के लिए कहा जाएगा।

नोट 4: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की विधि और परीक्षा/सेमिनार/साक्षात्कार/टेस्ट के संचालन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने का मामले सामने आने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान किसी ऐसे मामले का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक
सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ़

प्रमाणपत्रों के प्रारूप:

1. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।
2. आयु में रियायत का दावा करने के लिए परिषद/सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप ।
3. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।
4. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं.

दिनांक: [दिन/माह/वर्ष]

विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण तिथि] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन तिथि] के तहत विज्ञापित [पोस्ट कोड/पद] पद के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त नयित्युक्ति के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के तहत किसी दंड का सामना नहीं कर रहे हैं और डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के उद्देश्य से आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।

जगह:

[विभाग/संगठन का नाम] के लिए,

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर] [जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम] [जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक

मुहर/स्टाम्प] [संपर्क जानकारी]

[विभाग/संगठन का पता]

आयु में छूट का दावा करने के लिए विभागीय उम्मीदवारों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं.

दिनांक: [दिन/माह/वर्ष]

विज्ञापन संख्या के विरुद्ध आवेदन करने के लिए आयु में छूट का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... (संस्थान का नाम) के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

(i)

(ii)

(iii)

प्रमाणित किया जाता है कि:

* (क) डॉ./श्री/सुश्री (संस्थान का नाम) में से तक मूलतः स्थाई पद पर कार्यरत हैं।

या

* (ख) डॉ./श्री/सुश्री (संस्थान का नाम) में के पद पर से तक स्थाई रूप से स्थाई सेवा में निरंतर रहे हैं।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

जगह:

[संस्थान का नाम] के लिए

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम] [जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..... पुत्र/पुत्री*
ग्राम/कस्बा*..... जिला/मंडल* राज्य/संघ शासित प्रदेश*..... के हैं और वह
..... जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

@ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम। 1987.]

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित @ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम। 1991

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी*.....के गाँव/कस्बा*/क्षेत्र** के जिला/मंडल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो द्वारा जारी किया गया है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या* उनका/उनकी* परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* केजिला/मंडल* के गाँव/कस्बा* में रहता है।

हस्ताक्षर

**पदनाम

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान:.....

दिनांक:.....

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

विज्ञापन संख्या नियमित 2/2025

Page 25 of 30

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे हटा दें।

नोट: यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका/उसकी परिवार सामान्यतः निवास करता है

(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

नोट: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री _____, गाँव/कस्बे _____ जिला/संभाग _____ के निवासी हैं और उस समुदाय से हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या दिनांक _____ * के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या उनका परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं। (निर्णय) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (निर्णय) दिनांक 27 मई, 2013**

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____ \$

दिनांक:

मुहर

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

** समय-समय पर संशोधित।

सही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।

नोट:- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अन्य पिछड़ा वर्ग' के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

में, _____ श्री पुत्र/पुत्री _____ निवासी, गाँव/कस्बा/शहर _____, जिला, _____ राज्य, _____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उस समुदाय से हूँ जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8-9-1993 में निहित आदेशों के अनुसार पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय जापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय जापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(निवास) दिनांक 9 मार्च, 2004 और कार्यालय जापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(निवास) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-समय पर संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

में यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

स्थान: दिनांक:

हस्ताक्षर _____

पूरा नाम _____

पता _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति

प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या

दिनांक:

वर्ष के लिए वैध.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....गांव/गली.....का स्थायी निवासी,डाकघर,..... क्षेत्रपिन कोड..... जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है ।

परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद का नाम.....

Recent
passport size
attested
photograph of
the applicant

* नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

**नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।